rnal of Dalit Literary Studies

Near OPG School,
tments, Dwarka, New Delhi-110075

l.com

a.com , www.dalitliterature.com ,

ngharsh/Struggle : e-Journal of Dalit Literary Studies Vol. 03, Issue 01 (201

International e-Journal)
Vol 3 Issue 1
Jan. to March 2014

(स्त्री-संघर्ष)

Sangharsh/Struggl
e-Journal of Dalit

|| अत्त दीपो भव ||

|| SANGHARSH /STRUGGLE ||

E-JOURNAL OF DALIT LITERARY STUDIES

(Refereed & Peer Reviewed International e-Journal)

Vol 03 Issue 01 Jan. to March, 2014

www.dalitsahitya.com
http://eklavyapublication.in http://sangharsh.open-journal.com
Mo. 09408110030

Editor

Dr. Parmod Kumar

Guest Editor

Dr. Rekha Kurre

Associate Editors

Haresh Parmar
Dr. Shivdatta Wavalkar
Dr. Rekha Kurre
Pravin Kumar

Editorial Office

Niroj Kumar Sethi
Dalip Chavda
Namita Satyen
Smita Mishra
Asmita Sharma
Anamika Yadav

Front Page

Background Image by **Adil Khan** (Asmita Theater, New Delhi)

महिलाओं पर एसिड अटैक के रूप में हो रही हिंसा : एक अध्ययन

मनोज कुमार गुप्ता[1]

दुनिया भर में महिलाएँ हिंसा का शिकार हो रहीं हैं। पितृसत्तात्मक समाज में औरतों पर नियंत्रण रखने और उन्हें दबाने के लिए हिंसा के अनेक रूपों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। वर्तमान में तेजाबी हमला हिंसा के एक हथियार के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। जो हत्या और हत्या के प्रयास में प्रयुक्त होने वाले सभी औजारों में सबसे सस्ता, घातक और आसानी से उपलब्ध हथियार है। विभिन्न रिपोर्टों और लेखों के माध्यम से ज्ञात होता है कि तेजाबी हमले का लक्ष्य किसी व्यक्ति के चेहरे और उसकी सुंदरता को नष्ट कर देना होता है। पीड़ित को शारीरिक, मानसिक, तथा सामाजिक सभी स्तरों पर इस हिंसा का परिणाम भुगतना पड़ता है।

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में महिलाएँ हिंसा का शिकार हो रही हैं। महिलाओं पर हिंसा सभी वर्गों एवं समाजों में व्याप्त है। पितृसत्ता के अंतर्गत औरतों पर नियंत्रण रखने और उन्हें दबाने के लिए अनेक प्रकार की हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर जीवन में ऐसे अंतर्विरोध सामने आते हैं, कि यह समझ पाना मुश्किल होता है, कि इस दुनिया को किस नजरिए से देखा जाए। ये अंतर्विरोध दो दुनियाओं के फर्क को बड़ी संजीदगी से हमारे सामने ले आते हैं और नए सिरे से सोचने पर मजबूर करते हैं, कि क्या सारी स्त्रियाँ पुरुष सत्ता या वर्चस्व की शिकार हैं या उनका एक खास हिस्सा ही इससे पीड़ित है? कहीं स्त्रियाँ पुरुष उत्पीड़न की सीधे शिकार हैं, तो कहीं वह पितृसत्तात्मक मानसिकता के अनुरूप विमर्श तैयार करती हुई पुरुषवादी एजेंडे को ही मजबूत बनाने के कार्य में लगी हैं।

आज सहशिक्षा बढ़ने और जीवन शैली में आधुनिकता का बोलबाला होने के साथ ही हम देख सकते हैं कि, आम लड़कियों में जहाँ अपने जीवन और उसके निर्णयों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, उसके ठीक समानांतर लड़कों में उनके वजूद को लेकर एक नकार की भावना पनप रही है। आज जब लड़कियाँ कैरियर, प्रेम, और शादी जैसे मसले पर स्वयं निर्णय लेने और नापसंदगी को जाहिर करने में अपनी झिझक से बहार आ रहीं हैं, जो लड़कों को नागवार गुजर रहा है और वे तेजाबी हमले जैसे कठोर और सबसे वीभत्स तरीके अपनाने लगे हैं, चाहे वह बांद्रा टर्मिनल पर प्रीती राठी पर तेजाबी हमला हो या गाजियाबाद की निशा, या फिर दिल्ली कि लक्ष्मी जिस पर तेजाब इसलिए फेंक दिया गया, क्योंकि उसने 32 वर्षीय एक पुरुष के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तेजाब महिलाओं के प्रति हिंसा का सबसे विकृत रूप है।

लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट नं. 226 के अनुसार ज्यादातर तेजाबी हमले में हैड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्यतः युवा महिलाएं ही इसका शिकार होती हैं। ऐसी घटनाएं सार्वजनिक स्थानों या घर में होती हैं, तथा इसका स्वरूप ऐसा होता है, जो कि पीड़ित व्यक्ति के चेहरे और शरीर को क्रूरतापूर्वक नष्ट कर देता है और साथ ही उनके आत्मविश्वास, जीवन शक्ति, सामाजिक सहभागिता आदि को बड़ी गहराई से प्रभावित करता है। महिलाओं पर हिंसा के ऐसे अत्यधिक उग्र प्रकार समाज में सामंती संबंधों के फैलाव और पितृसत्ता को दर्शाते हैं। तेजाबी हमले की ज्यादातर घटनाएं शहरों या उससे सटे हुये इलाकों में ही घटी हैं। भूमंडलीकरण के युग में अचानक उपभोक्तावादी और भौतिकवादी 'उपयोग करो और फेंक

[1] **मनोज कुमार गुप्ता**
शोधार्थी– एम.फिल. स्त्री अध्ययन स्त्री अध्ययन विभाग, म.गां.अं.हि.वि.वि.,वर्धा (महाराष्ट्र)

दो' संस्कृति का अविर्भाव हुआ. भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में भी एसिड अटैक की घटनाएँ बढ़ रही हैं लेकिन "बांग्लादेश में वर्ष 2002 में Acid Control Act 2002 और Acid Crime Prevention Act 2002"[1] के तहत एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद तेजाबी हमलों का प्रतिशत एक चौथाई रह गया है।

"राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में सन् 2010, 2011 और 2012 में क्रमशः तेजाब पीड़ित महिलाओं की संख्या 65, 98, 101 है।"[2] जो यह दर्शाती है कि किस प्रकार यह हिंसा तेजी से बढ़ रही है। बावजूद इसके सरकार और कानून व्यवस्था इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। आये दिन तेजाबी हमले की घटनाएँ प्रकाश में आ रही हैं। इस हिंसा के विरुद्ध नए कानून बनाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने कि जरूरत है। तेजाबी हमले की अधिकतर घटनाएँ शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, और इन घटनाओं के पीछे प्रेम एक बुनियादी कारण होता है, पर इसके और भी कारण हैं। महिलाओं के लिए लगातार भयावह होती जा रही इस दुनिया के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं को बार–बार दोहराया क्यों जा रहा है, अपराधी बेलगाम क्यों हुये जा रहे हैं? क्या कारण है कि बलात्कार, हत्या और अब तेजाबी हमलों के देशव्यापी विरोध के बाद भी ऐसी घटनाएँ प्रकाश में आ रहीं हैं। इन संदर्भों को दृष्टिगत रखते हुए तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारकों व कारणों के अध्ययन हेतु विषय 'महिलाओं पर एसिड अटैक के रूप में हो रही हिंसा' का चयन किया गया है।

तेजाबी हमले कि वर्तमान परिस्थितियाँ

"जेन वेल्स के शोध के अनुसार तेजाबी हमला एक क्रूरतापूर्ण एवं परपीड़नात्मक हिंसा है तथा योजनाबद्ध तरीके से किसी व्यक्ति के चेहरे या अंगों को पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए किया जाता है।"[3] वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक एसिड अटैक पुरुषों द्वारा अपने सम्मान तथा वर्चस्व को बनाये रखने के लिए किया जाता है। यह विश्वव्यापी हिंसा का स्वरूप है जो किसी विशेष जाति, धर्म या किसी भौगोलिक स्थिति के दायरे तक सीमित नहीं है। यह विकसित तथा विकासशील सभी देशों में हो रही है। "एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया के करीब 23 देशों में हाल के वर्षों में एसिड हमलों की घटनाएँ हुईं। इनमें अमरीका, ब्रिटेन, यू०के० तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के भी नाम हैं। लेकिन इन देशों में दूसरी जगहों की अपेक्षा हमलों की संख्या बेहद कम है। महिलाओं पर एसिड हमलों की सबसे अधिक घटनाएँ भारत, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कंबोडिया में दर्ज की गई हैं।"[4] कैसी विडम्बना है कि स्त्री जाति के प्रति परिवार और समाज में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं।

दुष्कर्म, ऑनर किलिंग, छेड़छाड़, मारपीट, महिलाओं की तस्करी, कन्या शिशु हत्या जैसा हिंसा का स्वरूप वर्षों से चला आ रहा था तथा आज भी विद्यमान है। इन सबके अलावा पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं पर तेजाब फेंकने जैसी घटनाएं सामने आने लगीं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहीं है। इसका प्रभाव इतना भयानक होता है कि यह जिस अंग पर पड़ता है उसे पूरी तरह गला देता है। इसका इलाज इतना महंगा होता है कि सामान्य परिवार के लिए असंभव ही होता है। "महिलाओं पर तेजाबी हमले को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार ने पहल की। उस समय सभी राज्य सरकारें तेजाब फेंकने की घटनाओं पर कड़ी सजा के लिए सहमती थीं। इस अपराध के तहत अपराधी को न्यूनतम सजा सात साल करने को कहा गया।"[5] हालांकि महिला आयोग व अन्य संगठनों की मांग थी कि, न्यूनतम सजा दस साल और अधिकतम सजा उम्र कैद हो। राज्य सरकारें पीड़िता को मुआवजा सुनिश्चित करने के भी पक्ष में थीं। इसके बाद वर्ष 2010 में गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति ने तेजाबी हमला करने वालों को दस साल की कैद और दस लाख रुपये

जुर्माने की सिफारिश की थी। तेजाबी हमलों को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग काफी समय से की जाती रही है। लेकिन इस दिशा में आज भी कड़े कानूनों का अभाव है।

अभी हाल ही में नौसेना के कोलाबा अस्पताल में बतौर नर्स के रूप चयनित दिल्ली की प्रीति राठी पर मुंबई में एक युवक ने तेजाब फेंक दिया और जीवन–मृत्यु के बीच जूझती प्रीति आखिर जिंदगी की जंग हार गयी। इसके कुछ समय पूर्व ही उत्तर प्रदेश के शामली जिले में चार बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया था। तेजाबी हमले जैसे बर्बर कृत्यों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। एक तरफा प्रेम में हताश युवक लड़कियों को जीवित मृत करने के लिए ऐसा घृणित कृत्य करने में संकोच नहीं कर रहे। दरअसल, यह मात्र युवा पीढ़ी की संवेदनहीनता या कुंठा ही नहीं बल्कि इन अपराधों के खिलाफ लंबी लचीली कानून व्यवस्था भी है, जो अपराधी को बढ़ावा देती है। "2006 में लक्ष्मी द्वारा दायर कि गयी जनहित याचिका पर लगभग सात वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2013 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आई०पी०सी० में संशोधन कर धारा 326 क तथा 326 ख का प्रावधान किया। जिसके तहत पहले में इसे अंजाम देने वाले को दस वर्ष या जज के विवेक के अनुसार जीवनपर्यंत कैद और दूसरे में इसकी कोशिश करने वाले को पाँच से सात वर्ष कि सजा कि बात कही है। साथ ही तेजाबी हमले से पीड़ित को तीन लाख का मुआवजा देने और फोटो पहचान पत्र देखकर ही तेजाब देने का आदेश दिया।"[6] बावजूद इसके न यह घटनाएँ नहीं रुक रहीं हैं और न ही एसिड बिक्री पर नियंत्रण हो पाया है। लक्ष्मी जो कि खुद पीड़ित हैं तथा स्टॉप एसिड अटैक कैम्पेन से जुड़ीं हैं के अनुसार यह राशि बहुत कम है। इसी से जुड़ी मांडवी और आशीष जी ने बताया कि यह राशि भी अभी तक बहुत सी पीड़ितों को नहीं मिल पायी है। क्योंकि इसके लिए कानून और प्रशासन ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है, कि पीड़ित किस अधिकारी के पास आर्थिक सहायता के लिये जाय।

निष्कर्ष एवं सुझाव

यह हिंसा का ऐसा रूप है। जिसमें पीड़ित शारीरिक रूप से प्रभावित होने के साथ ही मानसिक सदमे में हो जाता है। जिससे वह पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि कानून और सरकार दोनों ही इस हिंसा के प्रति संवेदनशील नहीं है। लक्ष्मी, अनु मुखर्जी, अर्चना, चंचल और सोनम जो दोनों बहने हैं। ऐसी कई पीड़ित हैं, जिन्हें तेजाबी हमले के बाद समाज, दोस्तों और ज़्यादातर परिवार के लोगों की ओर से भी पूरा सम्मान नहीं मिल पाता। एन० डी० टी० वी० के एक शो के दौरान यह भी पता चला कि पीड़ितों को कहीं नौकरी भी नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में तेजाब पीड़ित का जीवन बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश जैन के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ऐसे मामलों में कई वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार की हिंसा की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून और उनको प्रभावी रूप से लागू करने की माँग के साथ ही हमे सामाजिक–सांस्कृतिक स्तरों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमे इस हिंसा की तह तक जाकर इसके कारणों का पाता लगाना होगा।

संदर्भ सूची

1 Welsh,Jane; "*It was like burning in Hell":A Comparative Exploration of Acid Attack Violence*; Chapel Hill 2009;UNC GLOBAL

2 एसटीटी(200)/ आर०टी०आई०/293/13/एन०सी०आर०बी०

3 Welsh,Jane; "*It was like burning in Hell":A Comparative Exploration of Acid Attack Violence*; Chapel Hill 2009;UNC GLOBAL

4 बीबीसी हिन्दी न्यूज़; शुक्रवार 8 मार्च, 2013 को 09:17 IST तक के समाचार

5 http://jamanadekhega.blogspot.in/2013/06/blog-post_8605.html
6 dainik bhaskar 8 sep 2013 (Nagpur)
7 Law Commission of India; Report no 226: july 2009
8 http://www.acidviolence.org

Sangharsh/Struggle :
e-Journal of Dalit Literary Studies

Books Publication / Online Book Publication

संघर्ष एवं एकलव्य पब्लिकेशन से आप अपनी पुस्तक भी प्रकाशित कर सकते हो |
आप अपनी पुस्तक ओनलाइन भी प्रकाशित कर सकते हो, जिससे आपके पाठक आप से सीधे जुड़े |
पुस्तक प्रकाशन के लिए हमारी वेबसाइट देखे :

http://www.dalitsahitya.com/publications
&
http://eklavyapublication.in

Email :
editorsangharsh@gmail.com
hareshgujarati@gmail.com
prakashaneklavya@gmail.com
Mo. 09408110030